न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 84/2024/अपील

सुभिता पुत्री कालूराम पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल ससुराल बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच
2 पूर्णमल
3 सांवरमल
4 बलदेव उर्फ बीरबल

} पुत्रगण कालूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 04.06.1981 ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री नोपाराम जांगिड़

निर्णय **दिनांकः—06.04.2026**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 के पिता स्व. कालूराम पुत्र गणेशा के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार में उनके हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 47 रकबा 13 बीघा बिस्वा में 1/4 हिस्सा (वर्तमान खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0. 0100 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 3.3700 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 3.4500 है0) खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा पक्की व खसरा नम्बर 30 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा पक्की में 1/4 हिस्सा है (वर्तमान खसरा नम्बर 56 रकबा 1.77 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 69 रकबा 4.8900 है0, खसरा नम्बर 69/289 रकबा 0. 0100 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 6.700 हैक्टयर में से 1/4 हिस्सा भूमि ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित रही है जो उनकी मृत्यू पर इनके तीनो पुत्र व पुत्री अर्थात् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 को बराबर—बराबर 1/16, 1/16 हिस्सा में प्राप्त हो गई है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु कालूराम की मृत्यू के बाद अपीलांट के भाईयों रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 ने विरासती नामान्तकरण नम्बर 145 दिनांक 04.06.1981 को बाला—बाला व साजिशी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से साजिश कर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 के नाम खुलवाकर स्वीकार करवा लिया तथा अपीलांट का व अपीलांट की माता का नाम नामान्तकरण में अंकित नहीं होने दिया। अपीलांट अपने ससुराल से आकर स्व. कालूराम की विरासत में प्राप्त अपने हिस्से 1/4 की काश्त करती रही है। स्व. कालूराम पुत्र गणेशा की मृत्यु के समय उनके प्रथम श्रेणी के 05 वारिस मौजूद थे जो क्रमशः सुनीता (अपीलांट) पुत्री, भगवानी (पत्नी) फौत, जो कि दिनांक 26.09.2020 को फौत हो चुकी है। पूर्णमल, सांवरमल, बलदेव उर्फ बीरबल पुत्रगण है। स्व. कालूराम की मृत्यु के बाद उसका विरासती नामान्तकरण कानूनन उसके प्रथम श्रेणी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

के पांचो वारिसों अर्थात् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 व इनकी माता के नाम खुलना चाहिए था। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 ने राजस्व ग्राम अभियान में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को गलत जानकारी देकर विरासती नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 04.06.1981 केवल अपने तीनो के नाम ही खुलवाकर स्वीकार करवा लिया जबकि स्व. कालूराम के एक पुत्री व पत्नी प्रथम श्रेणी की वारिस मौजूद थी तथा नामान्तकरण में इनका नाम भी अंकित होना आवश्यक था। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजस्व ग्राम अभियान में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने मृत खातेदार कालूराम के वारिसों की सही जांच नही की थी तथा बिना जांच के ही नामान्तकरण स्वीकार कर लिया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने स्व. कालूराम के वारिसान उसकी पुत्री अपीलांट को व उनकी माता को कोई नोटिस जारी नही किया तथा बिना सुनवाई का मौका दिये ही बाला बाला व साजिशी रूप से नामांतकरण स्वीकार कर लिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 04.06.1981 को निरस्त फरमाया जावे तथा विरासती नामांतकरण भरा जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पों बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस अंतिम सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलाधीन नामांतकरण खातेदार कालू पुत्र गणेशा फौत होने पर उनके वारिसान पूर्ण, सांवरा, बलदेव पि. कालू हिस्सा 1/4 कोम जाट सा.देह के नाम हल्का पटवारी द्वारा भरा गया है एवं राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 04.06.1981 को अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण दिनांक 04.06.1981 को खातेदार कालू फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.06.1981 को तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामांतकरण की अपील लगभग 42–43 वर्ष बाद पेश की गई है। अपीलांट मृतक खातेदार की पुत्री एवं वारिस होने सम्बंधी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक अपीलांट के स्वामित्व का निस्तारण केवल मात्र अपील के माध्यम से तय किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट को विवादग्रस्त आराजियात में अपने हक अधिकारों हेतु चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व लगभग 42–43 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत करने की बजाय सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में विवाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या/विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर